

सम्पादकीय

हिंदी को कोसने की बुरी
आदत, दक्षिण में
हिंदीभाषियों को बनाया
जाता है बेवजह निशाना

क्षमा शर्मा। क बार फिर हिंदी के साथ-साथ हिंदी वालों की पिटाई चाहूँ है। अखिर हिंदी या हिंदी वालों ने दक्षिण या फिर अन्य क्षेत्र की किस भाषा का कब अपमान किया और किसे अपने मुकाबले दोयम दर्ज का कहा, लेकिन जब देखो तब, कभी चुनाव के मौके पर, कभी किसी मामूली सी बात पर हिंदी को कोसने, दुरदुराने और भला-बुरा कहने का नफरत भरा सैलब आ जाता है। जब ऐसा होता है तब जो हिंदी के चलते अपनी रोजी-रोटी कमा सके, लेखक बन सके, बुद्धिजीव, कलाकार कहलाए, वे लंबा मौन धारण कर लेते हैं। कोई बताएगा कि कब किस हिंदी भाषी राज्य में भाषा को लेकर दंगे हुए, जबकि दक्षिण में जिस तरह जब चाहे तब हिंदी भाषियों को खदेड़ा जाता है, लेकिन उनके अनुसार हिंदी वाले पिछड़े हुए हैं। उनकी कोई संस्कृति नहीं है। वे हिंदी साप्राज्यवाद दक्षिण पर लादना चाहते हैं। वे हिंदी भाषी जो 55 करोड़ हैं, उनकी दुर्लक्षणी है कि कोई भी उन्हें अच्छे दिखाकर चलता बनता है। हिंदी वाले चारों तरफ से लाञ्छित होते हैं और इस डर से कि कोई उन्हें पिछड़ा न कह दे, चुप लगा जाते हैं। यह केशवचंद्र सेन या महात्मा गांधी का जयमाना नहीं, जो अहिंदी भाषी होते हुए भी हिंदी के महत्व को स्वीकार करते थे। यह तो बह जयमाना है कि बंगाल में एक डाक्टर ने बांग्ना न जानने के कारण एक महिला से कहा कि वह बिहार में जाकर ही अपना इलाज कराए। क्या अब डाक्टर, इंजीनियर तभी कोई काम करेंगे, जब उनका कुँइंट उनकी ही भाषा बोलेगा? एक बार मशहूर लेखिका आशापूर्णा ने कहा था कि जब उनकी पुस्तकों का अनुवाद हिंदी में हुआ, तभी उन्हें असली पहचान मिली। यही कहानी अन्य भाषा के दूसरे लेखकों की भी है। दरअसल डर हिंदी से नहीं, उसके संख्या बल से है। उसकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता और उसके बड़े बाजार से है। यह कितना दिलचस्प है कि हिंदी वाले की जेब में दक्षिण के लोगों का हाथ तो घुसा होना चाहिए, हिंदी क्षेत्र के बाजार का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन न हिंदी चाहिए, न हिंदी वाले। अक्सर यह कहा जाने लगता है कि यदि हिंदी की बात तक की तो देश टूट जाएगा। भई वाह, आपकी भाषाओं की बात हीती रहे, तब किसी हिंदी वाले को यह खतरा नहीं महसूस होता कि देश टूटने वाला है, लेकिन जैसे ही हिंदी की बात होती है, तो देश टूटने की धमकियां सी दी जाने लगती हैं। लगता है इस देश की अखंडता को बचाने की सारी जिम्मेदारी बस हिंदी वालों और हिंदी क्षेत्र की है। यदि आपको अपनी भाषा पर गर्व है तो यह गर्व किसी हिंदी वाले को क्यों नहीं होना चाहिए कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया फिर से हिंदी विरोध में आ डटे हैं। पिछली बार जब कर्नाटक की एक मेट्रो ट्रेन में कन्नड़ और अंग्रेजी के साथ हिंदी में भी स्टेशनों के नाम लिखे जा रहे थे तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया था। वह कांग्रेसी है, लेकिन कांग्रेस कभी उनकी बातों का विरोध नहीं करती। क्या इसी तरह से यह दल उत्तर भारत में अपनी खोई जगह फिर से बना सकता है? एक बार जब मैसूर में उत्तर भारतीय यात्रियों की सुरक्षा के लिए रास्तों के नाम हिंदी में लिखने की कोशिश की गई थी, तब भी उसका विरोध हुआ था। वास्तव में हिंदी तो उस गरीब की जोरू है, जिसे किसी न किसी बहाने हर बार पिटाना है। अखिर अजय देवगन ने क्या गलत कहा कि जब हिंदी से इतनी नफरत है तो अपनी फिल्म हिंदी में डब कर्यों करते हो? भाषा के नाम पर धृणा भी फैलाएंगे और चाहेंगे कि न केवल पूरे भारत में जा जाएं, बल्कि गुबोल भी हो जाएं। आप कौन होते हैं, हमें पीटने वाले। आप बल जाते हैं कि बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय लोग हिंदी भाषी क्षेत्रों में काम करने आते हैं। यदि आपकी बातों पर हिंदी के लोग आपकी ही तरह नाराज होने लगें तो? जब अजय देवगन के पक्ष में खड़े होने वाले नहीं दिख रहे, तब जाने-माने अधिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तारीफ करनी होगी कि उन्होंने एक बातचीत के दौरान खुलकर हिंदी का पक्ष लिया। जब उनसे पूछा गया कि अगर बालीवुड में तौन चीजें बदलनी हों, तो वे क्या बदलना चाहेंगे। इस पर नवाज ने कहा कि पहले तो मैं बालीवुड का नाम बदलकर 'हाद्दी फिल्म इंडस्ट्री' रखूँगा। दूसरा यह कि जो स्क्रिप्ट रोमान में आती है, उसे याद करना मुश्किल होता है, इसलिए मैं देवनागरी में स्क्रिप्ट की मांग करूँगा। तीसरी बात यह कि जब फिल्म हिंदी में बन रही हो ।

राजस्थान में पहले करौली और अब जोधपुर की हिंसा ने पूरे देश में चिंता उत्पन्न की है। जोधपुर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुहनगर भी है। वह कह रहे हैं कि उन्होंने संपूर्ण जीवन पंथनिरपेक्षाता की रक्षा के लिए लागाया है। अधिकार ऐसी सफाई देने की नौबत आई क्यों? गहलोत और उनके समर्थकों की नजर में पंथनिरपेक्षाता का अर्थ क्या है, इसे भी उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। करौली में नव संवत्सर के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा पर हमले के बाद की कार्रवाई में निष्पक्षता अभी तक नहीं दिखी। अगर करौली की घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरी सख्ती दिखाई होती, शोभा यात्रा पर हमले के दोषी पकड़े जाते तो शायद जोधपुर की हिंसा देखने को नहीं मिलती। करौली हिंसा का पूरा सच सामने था, लेकिन सरकार भाजपा पर आरोप लगाने में ज्यादा शक्ति खर्च करती रही। सरकार ने मजहबी कट्टरपंथी तत्त्वों पर थोड़ा भी फोकस किया होता तो तस्वीर दूसरी होती। वास्तव में करौली हिंसा पूरे राजस्थान में सतह के अंदर व्याप्त स्थिति का एक प्रकटीकरण मात्र थी। निश्चय ही इसके बाद सरकार ने खुफिया रपटों का अध्ययन किया होगा। यह संभव नहीं कि एक ही दिन ईंट और परशुराम जन्मोत्सव होने के कारण तनाव, हिंसा आदि की आशंका खुफिया रपटों में न हो। इसे ध्यान में रखते हुए संवेदनशील स्थानों पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था एवं हिंसा रोकने संबंधी कदम उठाए जाने

विश्व के किसी भी लोकतंत्र में ऐसा कानून नहीं जो जनप्रतिनिधियों को अपने दल का बंधक बना दे

हाल में उपराष्ट्रपति वैकेया नायदू ने दलबदल निरोधक कानून में संशोधन का आहान किया। 1985 में संविधान में दसवीं अनुसूची जोड़ दलबदल निरोधक कानून बनाया तो गया, लेकिन उससे अभीष्ट की अपेक्षित पूर्ति न हुई। परिणामस्वरूप सरकारें गिरती-बनती रहती हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 22 विधायकों के दलबदल से कमलनाथ की 15 माह पुरानी सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। 2019 में गोवा में कांग्रेस और सिविकम में सिविकम डेमोक्रेटिक फॉट के 15 में से 10 विधायकों ने अपनी-अपनी पार्टी का भजपा में विलय कर लिया था। राजस्थान में बसपा के सभी छह विधायक कांग्रेस में चले गए। यह क्रम चलता रहता है। जब दलबदल की समस्या जस की तस कायम है तो फिर दलबदल निरोधक कानून का क्या औचित्य? उलटे इससे जनप्रतिनिधियों की विधायी सदनों में अपने दल के विरुद्ध आवाज उठाने की स्वतंत्रता चली गई। विपक्षी दलों से समर्थन लेने का अवसर खत्म हो गया। विपक्षी सदस्यों द्वारा सरकार के अच्छे कानूनों को समर्थन देने की गुंजाइश समाप्त हो गई। लोकतंत्र एक यात्रिक व्यवस्था में जकड़ गया। विश्व के किसी भी लोकतंत्र में ऐसा कानून नहीं जो जनप्रतिनिधियों को अपने दल का बंधक बना दे। इंग्लैण्ड में पार्टी हिंप के विरोध पर दल की सदस्यता चली जाती है, लेकिन संसद की सदस्यता नहीं जाती। आस्ट्रेलिया में भी पार्टी हिंप का उल्लंघन करने पर सदस्यता समाप्त नहीं होती। हालांकि ऐसी स्थिति में सांसद से त्यागपत्र की अपेक्षा की जाती है। दलबदल एक राजनीतिक समस्या है और उसके विधिक समाधान की अपेक्षा करना विवेकसम्मत नहीं। राजनीतिक समस्या का राजनीतिक समाधान ही हो सकता है। इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी राजनीतिक संस्कृति को सुधारना होगा। दल अपने सदस्यों को विचारधारा का सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण दें। उन्हें लोकतंत्रिक प्रक्रिया के बारे में सजग किया जाए। योग्य एवं प्रतिबद्ध लोगों को राजनीति से जोड़ने पर भी जोर देना होगा। सैद्धांतिक आधार पर दलबदल में कोई समस्या नहीं। इंग्लैण्ड में प्रधानमंत्री बोरिस जानसन की कंजरवेटिव पार्टी के 38 सदस्यों ने 'ब्रेकिंस्ट' पर सरकार के विरुद्ध मतदान किया था। अमेरिका में भी डोनाल्ड ट्रंप पर महाभियोग को लेकर रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के कुछ सदस्यों ने अपने-अपने दल की लीक से हटकर मतदान किया था। दरअसल 1967 में 'कांग्रेस सिस्टम' टूटने की शुरुआत से



किसी 'रिसोर्ट' या 'आलीशान होटल' में बंधक बनाकर रखती है। राजस्थान में 2020 में, कर्नाटक में 2019 में और तमिलनाडु में 2017 में ऐसे ही नजारे देखने को मिले। क्या इसे कोई भी सौंधेन्द्रियिक या विधिक व्यवस्था रोक सकती है? वर्षमान कानून में दलबदल की अवधारणा को लेकर भी विवाद है। दलबदल कानून में स्वेच्छा से पार्टी

छोड़ने या 'दलोय हिप' का उल्लंघन करने को दलबदल माना गया। जबकि दल विभाजन (एक-तिहाई सदस्यों द्वारा) या पार्टी विलय (दो-तिहाई सदस्यों द्वारा) को दलबदल नहीं माना गया। हालांकि 2003 में 91 वें संविधान संशोधन द्वारा 'दल विभाजन' को भी दलबदल मान लिया गया, जिससे छोटे दलों में दल विभाजन के माध्यम से दलबदल पर रोक लग सके। दलबदल कानून की प्रक्रिया पर भी विवाद है। मसलन किसी दल के सदस्य द्वारा दलबदल किए जाने पर पीठासीन अधिकारी उसका स्वतः संज्ञान नहीं ले सकता। वह तभी उस पर कोई दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है, जब उसका दल इस संबंध में कोई अर्जी लगाए। पीठासीन अधिकारी द्वारा निण्य को लेकर किसी समयसीमा का भी प्रविधान नहीं। बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष बिमान बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया कि वह एक निश्चित तिथि तक मुकुल राय के दलबदल पर निण्य दें, जो 2021 विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा छोड़ तृणमूल में शामिल हो गए थे। 2020 में सर्वीच्च न्यायालय ने मणिपुर के एक मंत्री को अपदस्थ कर दिया, क्योंकि विधानसभा के अध्यक्ष ने तीन वर्षी के बाद भी उनके दलबदल पर कोई निण्य नहीं दिया। दलबदल निरोधक कानून के विधायिक और न्यायपालिका का संतुलन भी बिगड़ गया। 'किहोतो हालोहन बनाम जाचिल्टू' मामले (1992) में सर्वीच्च न्यायालय ने दलबदल निरोधक कानून के 'पेरा सात' को असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिससे दलबदल पर संसद और विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों के आदेश न्यायिक पुनर्निरीक्षण के दायरे में आ गए। इससे बेहतर यही रहता कि चुनाव आयोग की 'आदर्श आचार सहिता' में ही प्रविधान होता कि प्रत्येक प्रत्याशी शपथपत्र दे कि निर्वाचित होने के बाद वह अपने दल के प्रति निष्ठावान रहेगा और दलबदल नहीं करेगा। नैतिक निष्ठाएं संभवतः विधिक निष्ठाओं से ज्यादा प्रभावी होतीं। दिनेश गोस्वामी समिति ने केवल 'अविश्वास प्रस्ताव' पर ही दलबदल निरोधक कानून लागू करने की स्स्तुति की थी। उसके अनुसार पीठासीन अधिकारियों से दलबदल याचिकाओं पर निण्य का अधिकार खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वे दलगत आधार पर निण्य करते हैं। चुनाव आयोग इस पर अपना नियत्रण चाहता है। कुछ लोग इसका अधिकार संघ में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल को देना चाहते हैं।

मोदी सरकार को लेकर पक्ष-विपक्ष में आए सेवानिवृत्त अधिकारियों से वाद-विवाद के बजाय संवाद की जरूरत

प्राचीन काल से ही भारत को बौद्धिक परंपरा में संवाद पर विशेष जोर दिया गया है। सत्य अन्वेषण की इस प्रक्रिया ने हठधर्मिता को कभी स्वीकार नहीं किया। यहां तक एवं प्रश्नों को प्राथमिकता मिली, जिन्होंने निष्कर्षों पर पहुँचन में मार्गदर्शन दिया। इस मार्ग में तल्ख शब्दों, निजी हमलों के लिए कोई जगह नहीं थी। इतना ही नहीं, संदिध मंशा वाले विरोधियों पर भी पलटकर हमले की परिपटी नहीं रही। दुखद है कि यह महान परंपरा अब करीब-करीब विलुप्त हो गई है। इसके लिए हमारी राजनीतिक बिरादरी जिम्मेदार है, जो अब शायद ही कोई सार्थक विमर्श करती है। इसके बजाय वह राजनीतिक विरोधियों को कहाई से आड़ हाथों लेती है। उनकी देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद पर प्रश्न-छड़े करती है। इससे भी दुखद स्थिति यह है कि अब कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाह, न्यायाधीश और सैन्य अधिकारियों ने भी संवाद की राह को त्याग दिया है। वे अब समूह बना रहे हैं। फिर सामूहिक रूप से किसी दल का समर्थन करते हैं और किसी का विरोध। कार्टोन यूशनल कंडक्टर रुप (सीसीजी) नाम से सेवानिवृत्त अधिकारियों का ऐसा ही एक समूह पिछले कुछ वर्षों से अस्तित्व में है। यह समूह पूरी तरह से मोदी सरकार और उसकी विचारधारा का विरोधी है। दुर्सी ओर कनसन्ट सिटिंजस ग्रुप है। दोनों में से कोई भी सत्यापन योग्य तथ्यों पर शांतिपूर्वक चर्चा के लिए तत्पर नहीं। दोनों ही पक्ष आकोश एवं भावनाओं से आवेशित है। ऐसा करके ये समूह न केवल प्राचीन भारतीय बौद्धिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिकार कर रहे हैं, बल्कि उनका यह आचरण उन मूर्खों के विरुद्ध भी है, जिनकी अपेक्षा लोक सेवक, राजनयिक, न्यायाधीश और सैन्य अधिकारी के रूप में उनसे की गई। इन पैरों से जुड़े लोगों को हमेशा मर्यादा और गरिमा के दायरे में रहना चाहिए, जो उनकी भाषा में भी व्यक्त होना चाहिए। उनके सेवाकाल में यह आवश्यक था, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी जारी रहना चाहिए था। सीसीजी ने मोदी सरकार की उन नीतियों के खिलाफ कई पत्र लिखे हैं, जो उसकी नजर में खराब रहीं। इसी कड़ी में उसने 26 अप्रैल की प्रथानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम एक खुला पत्र लिखा है। इस पत्र में सीसीजी ने भाजपा शासित राज्यों पर अल्पसंख्यक विरोध विशेषकर मुस्लिम विरोधी नीतियां अपनाने का



उन्हें निरतर डराने में लगा हूआ है। कुछ राज्यों में बीते दिनों घटित दुखद एवं दुर्मागयपूर्ण सांप्रदायिक हिसक घटनाओं के पीछे सीसीजी ने राजनीतिक नेतृत्व की मंशा पर भी एक प्रकार से संदेह व्यक्त किया है। यदि ऐसा है तो क्या सीसीजी को इस प्रकार की कोई अटकलबाजी करनी चाहिए हालांकि, यह अनमान लगाकर उसने यही व्यक्त किया कि केंद्र और राज्य सरकरें ऐसीघटनाओं के अनुकूल परिवेश तैयार कर रही हैं। सीसीजी ने माना है कि अतीत में भी सांप्रदायिक टकराव

हुए हैं, लोकन उसका आरोप है कि अब देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का एक 'विशेष साचा' तैयार किया जा रहा है। इस प्रकार भारत की सबसे महान सभ्यतागत विरासत के प्रतीक सामाजिक तानेबाने को बिगाड़ा जा रहा है। यह सब लिखकर सीसीजी ने मोदी से आह्वान किया कि वह नफरत की राजनीति के खिलाफ कुछ बोलें। इसके जवाब में कनसन्ट्र्ड सिटिजंस ग्रुप ने सीसीजी के सदस्यों पर ऐसा एडेंडा चलाने का आरोप लगाया है, जो केवल भारत विरोधी लाभी की मदद करेगा। उसका कहना है कि यह पत्र मोदी-विरोध का ही एक और प्रयास है। इस समूह ने यह भी आरोप लगाया कि सीसीजी का रुख भी बहुत सुविधावादी है और उसने गैर-भाजपा शासित राज्यों में राजनीतिक हिंसा को अनदेखा किया है। कनसन्ट्र्ड सिटिजंस ग्रुप ने सीसीजी से कहा कि वह अपने पूर्वाग्रह त्यागकर भ्रामक प्रचार के बजाय किसी कारगर समाधान की दिशा में मंथन करे। यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि कनसन्ट्र्ड सिटिजंस ग्रुप ने सीसीजी सदस्यों

राजस्थान में पहले करौली और अब जोधपुर
की हिंसा से राज्य सरकार कठघरे में....

विरोधी तत्व सांप्रदायिक हिंसा फैल कर देश की एकता को बाधित करने चाहते हैं। पकड़े गए लोगों से पूछताछ के बाद कई ऐसे तथ्य सामने आ रहे हैं, जो भय पैदा करते हैं कर्तृलैंगी की घटना के बाद गहलोत

जगह-जगह भगवा झंडे लगाए
चूंकि प्रशासन ने शोभा यात्रा
अनुमति दी थी, इसलिए
जिम्मेदारी उसकी ही थी कि
झंडे लांगे और कहां नहीं?
आरंभ में उसने शर्त लगाई-

एक स्थान जालौरी गेट पर स्वतंत्रता सेनानी बालमुकुदं बिस्सा की प्रतिमा बाला सर्किल था। यहां आधी रात के बाद कुछ मुस्लिम युवक आए। उन्होंने भगवा झड़ा उतार कर फेंक दिया और उसकी जगह चांद सितारे

को त्वरित कार्यवाई करनी चाहिए थी। इस घटना के दूसरे दिन जो कुछ हुआ, उसे हर दृष्टि से उपद्रवियों के बढ़े मनोबल और पुलिस की कमज़ोरी का ही परिणाम माना जाएगा। ईद की नमाज़ के बाद

विधायक सूर्यकांता व्यास के पर हमला हुआ और मोहल्ले में तेज़ी की बोतलें तक फेंकी गईं। स्ट्रीबिंगड़ेने पर कफ्यर लगाना पर सामान्यतः त्योहारों के पर्व प्रशांति और एकता समर्पितियों



स्थिति की समीक्षा कर नए सिरे से सुरक्षा व्यवस्था पुरखा करती उसने ऐसा नहीं किया। जोधपुर में परशुराम जन्मोत्सव पर शोभायात्र निकालने की घोषणा हो चुकी थी तय मार्ग पर यात्र के आयोजकों ने

लगते। हालांकि बाद में प्रशासन यात्र के आयोजकों से बात ज्यादातर जगहों से भगवा झँडे हुए दिए। बड़ी संख्या में लगे होने का कारण दो-चार झँडे छूट रहे। अस्वाभाविक नहीं था। उन्हीं

ने होना ही था। झंडा लगाने वालों ने विरोध का जवाब हमले से दिया। उन्होंने न केवल झंडे लगाए, बल्कि प्रतिमा के मुंह पर कथित तौर पर टेप भी लगा दिया। सच जो भी हो, इससे तनाव बढ़ा। यहां पुलिस

मैं तलवारें लहराने लगी। इसके साथ पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक युवक को चाकू धौप दिया गया। अनेक गाहनों को तोड़ा गया। इस तरह की हिंसा का मतलब है कि पहले से तैयारी थी। स्थानीय भाजपा के आधार पर हर स्तर की सुरक्षा तैयारी होती है। आवश्यकता पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया जाता है। ऐसा राजस्थान में देखा को नहीं मिला। ध्यान रहे कि विषय पर भी पुलिस प्रशासन राजनीति

बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य



एसके गुप्ता प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई नैनी, नैनी आईटीसी के अनुदेशकों से बात करते हुए।



आरके दुबे प्रधानाचार्य राजकीय आईटीआई भद्रोही नैनी आईटीसी की वेबसाइट का विमोचन करते हुए।



अर्चना सरोज अनुदेशक कोपा ट्रेड राजकीय आईटीआई खागा नैनी आईटीसी के छात्रों को पढ़ाते हुए।

कार्यालय प्रधानाचार्य नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र (भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त)

सीधे प्रवेश सुचना

नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तावित व्यक्तियोगी में अगस्त 2021 में प्रारम्भ होने वाले छात्र में फोेला हेटु इंजीनियरिंग एवं नैनी इंजीनियरिंग प्रशिक्षण कोर्स लीया, फिटर, ऐसिक कल्याणिंग, आटा एन्टी ऑफेलेंस, कायर फ्रीमेनान एवं इण्डस्ट्रीयल सोफ्टवर, नियोरिटी सार्विस, कम्प्यूटर हार्डवेयर असेंबली एवं मेनटेनेंस, सार्टिफिकेट हृषक कम्प्यूटर एप्लीकेशन (सीएसीएस), इलेक्ट्रिकल टेक्निकलियन, ऐफिजिशियन एन्ड एयर कंप्रेशनिंग, योगा अशिस्टेंट, लैंडिंग टेक्नोलॉजी, सीटिंगनर्सिप प्रोग्रामिंग एवं ऑफेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर टीकार ट्रेनिंग कोर्स के लिए न्युनतम शैक्षिक योग्यता लाइसेन्स उल्लिखित है।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया के लिए हमारी वेबसाइट www.nainiiti.com पर जाएँ Student's Zone → Online Form → Choose Course → Apply Now

यह आपने व्यवसाय कोर्स का चयन कर आपना प्रवेश सुनिश्चित करें।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया :— इस प्रक्रिया में प्रशिक्षणीय अपनी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आवार कार्ड एवं 4 पासपोर्ट चाहज कोटीयाक के साथ प्रवेश कार्यालय में शामिल करें।

नोट:- प्रवेश प्राप्त करने की अनितम तिथि 30 अक्टूबर 2021 है।

अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए
visit us at : www.nainiiti.com

प्रवेश कार्यालय :- त्रिलोकपुरी प्लाजा टीसरी मॉडिल,
एम.जी. मार्ग, चिकिता लाइन्स, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

फोन करें :- 0532-2695850, 9415608710, 6394370734,
7355448437, 6386474074, 6306080178, 9026359274

बोर्ड पास छात्र-छात्राएं चिंता छोड़े बनाएं अपना भविष्य...

नैनी/इलाहाबाद। इलाहाबाद यूपी एवं सीबीएसई बोर्ड से हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं में सफल छात्र-छात्राओं के पास अपना भविष्य बनाने का सुनहरा मोका है। ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य बनाने का मोका नैनी इंडिस्ट्रियल इंस्टीट्यूट दे रहा है। यह जापि बिना अतिरिक्त समय गणना से तीनों बोर्ड के परिणाम घोषित हो चुके हैं। इन बोर्ड परीक्षाओं में उत्तर्ण प्रदेश के तकरीबन छ्वीस लाख विद्यार्थियों के सामने उच्च शिक्षा के साथ अच्छे करियर की भी चिंता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए इंडिस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आईटीआई में चलने वाले कोर्सेज फॉर्म स्पष्ट के रूप में सामने आए हैं। थीरे-थीरे यह रोजगार की गारंटी बनते हैं। इसके अलावा आईटीआई में एक लाख से अधिक विद्यार्थी की मांग है। इसके विपरीत हर साल मात्र तीस हजार प्रशिक्षित युवा मिल रहे हैं। इसके अलावा इन दिनों हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट समेत कई विभागों में सैकड़ों पदों के लिए आईटीआई पास अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गए हैं। आईटीआई पास अभ्यर्थियों के लिए रेलवे में डेरों संभाननाएं हैं ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह है कि पंखरागत कोर्स के साथ युवा आईटीआई की ओर ध्यान देकर बेहतर कैरियर प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर तथा

पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी यह एक बेहतर विकल्प है। औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रवत्तन दरूण स्वरजा से हुई खास बातचीत में उहने इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी।

पृष्ठ- गण सवाल

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र क्या है? इसके बारे में बताएं।

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र जो नैनी परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।



द्वारा मान्यता प्राप्त है। एनसीबीटी-डीजीटी-नई दिल्ली, एनआईओएस - नई दिल्ली।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में अध्ययन से क्या लाभ है?

उत्तर- गर्तमान परिवृद्धि में पाठ्यक्रम आईटीआई द्वारा समय पर परीक्षाएं एवं समय पर परीक्षा परिणाम का अपग्रेड़िशन। श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम बेहतर लोसेमेंट सांस्कृतिक एवं अन्य गतिविधियों का सूर गठित आयोजन विद्यार्थियों का संपूर्ण विकास मूल्य एवं गुणवत्ता आधारित शिक्षा, व्यवस्थित एवं सुनियोजित एवेंडामेंट कैंड्र डर, डीविएटेड टू एजवेशन मिशन को पूरा करने वें उद्देश्य से संस्थान 9 वर्षों से प्रयासरत है। केंद्र से आज तक 5000 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया जा चुका है एवं केंद्र द्वारा प्रशिक्षित छात्र छात्राएं इस समय सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सफलता पूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को भारत सरकार द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाते हैं जो देश विदेश में सभी जगह मान्य है।

प्रश्न- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में कौन से पाठ्यक्रम संचालित हैं?

उत्तर- कोण (कम्प्यूटर अपरेटर एण्ड प्रोग्रेमिंग आसिस्टेंट), फैटर, बेसिक कम्प्यूटिंग, डाटा एंट्री ऑपरेशन, फायर प्रीवेशन एंड इंडिस्ट्रियल सेफ्टी, सिक्युरिटी सर्विस, कम्प्यूटर हार्डवेयर एंड मैटेनेंस इन कंप्यूटर एंड ऑफीसेन्स, इलेक्ट्रिकल ट्रैकिंग इन एयर कंट्रोल्यूमिनेंस, योग असिस्टेंट, वैल्डग ट्रैक्मोलॉजी, सीएनसी प्रोग्रामिंग एंड ऑपरेशन, इलेक्ट्रिक्सियन, कंप्यूटर टीचर ट्रेनिंग, इत्यादि।

प्रश्न- आपके औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र एवं अन्य प्रशिक्षण केंद्रों में क्या अंतर है?

उत्तर- नैनी औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र अंतर्राष्ट्रीय मानक आई.एस.ओ प्रमाणित है एवं श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी स्टार (सिस्टर) प्रैंडिंग की गई है एवं एम.आई.एस.डिफेंस मिनिस्ट्री भारत सरकार द्वारा अधिकृत प्रशिक्षण केंद्र भी नियुक्त किया गया है। अत्यधिक जानकारी के लिए आप फोन भी कर सकते हैं हमारे फोन नंबर इस प्रकार है- 0532-26958959, 9415608710, 9415608783, 9415608790, 7380468640, 6394370734।



सृष्टि सिंह मिसेज एशिया पेसिफिक नैनी आईटीसी के छात्रों को साथ।